न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 81/2021 (जीसीएमएस नम्बर– 2021/186)

1. कैलाशचन्द पुत्र रामधन जाति माली, निवासी अछापुरा तहसील महवा, जिला दौसा।

– अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील महवा, जिला दौसा।

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 28.10.2021 अपील संख्या 6/2021 उनवानी कैलाशचन्द बनाम राजस्थान सरकार व तहसीलदार महवा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 22.02.2021 प्रकरण संख्या 11/2021 में आदेश पारित किये गये हैं।

उपस्थित :–

1. श्री जितेन्द्र कुमार सैनी, वकील अपीलान्ट।
2. रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

निर्णय

दिनांकः–13.11.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर, दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.10.2021 एवं तहसीलदार महवा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 22.02.2021 के खिलाफ दिनांक 25.11.2021 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महवा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 22.02.2021 द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध पटवारी हल्का हडिया की रिपोर्टानुसार संवत 2077 में वाके ग्राम अंछापुरा के राजकीय आराजी खसरा नम्बर 1062 कुल रकबा 0.05 है0 किस्म चारागाह में से रकबा 0.01 है0 पर अनाधिकृत रूप से लेटबाथ बनाकर एवं खसरा नम्बर 1080 कुल रकबा 0.20 है0 किस्म चारागाह में से रकबा 0.14 है0 भूमि पर अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से गेहूँ की फसल काश्त कर व रकबा 0.06 है0 भूमि पर कब्जा कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने पर 50 गुणा पैनल्टी कायमी एवं बेदखली की कार्यवाही किये जाने तथा अतिक्रमी को 03 माह (90 दिवस) के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किये जाने के आदेश पारित कर दिये। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा के यहां पेश की गई, जिसे अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.10.2021 द्वारा खारिज कर दिया गया।
3. तहसीलदार महवा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 22.02.2021 तथा जिला कलक्टर, दौसा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.10.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार महवा, जिला दौसा दिनांक 22.02.2021 तथा जिला कलक्टर, दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.10.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया गया कि हरदो न्यायालयों का निर्णय खिलाफ कानून नियम उप नियम व पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तर्क किया था कि

अधीनस्थ तहसीलदार ने अपीलान्ट को समुचित जवाब का मौका नहीं दिया। अपीलान्ट दिनांक 15.02.2021 को तहसीलदार की न्यायालय में उपस्थित हुआ था व जवाब के लिए समय चाहा गया था तथा तारीख पेशी दिनांक 22.02.2021 नियत की गई थी। दिनांक 22.02.2021 को अपीलान्ट तहसीलदार की न्यायालय में घरेलू कार्य के कारण उपस्थित नहीं हो सका तथा तहसीलदार ने एकतरफा में निर्णय पारित कर दिया। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट को समुचित जवाब व सबूत का मौका ही नहीं मिला। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा ने इस तथ्य पर विचार ही नहीं किया जबकि सजा जैसे मामले में पीडित पक्ष को पूर्ण सुनवाई व सबूत का मौका मिलना चाहिए था। पत्रावली पर पश्चातवर्तीय अतिक्रमी होने का कोई सबूत व निर्णय नहीं होते हुए भी अपीलान्ट को सजा की गई है। इस तथ्य पर भी अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा ने गौर न कर अपील खारिज करने में कानूनी गलती की है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्रदर्शित भी नहीं हुई है जबकि कानूनन बिना प्रदर्शित हुये उक्त रिपोर्ट साक्ष्य में ग्रहण योग्य नहीं थी तथा उसके आधार पर किया गया निर्णय कानून विरूद्व है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा ने इस तथ्य पर भी कोई गौर नहीं किया। अपीलान्ट ने किसी भी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया परन्तु जिला कलेक्टर ने तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट ही नहीं ली। इसलिए भी निर्णय निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा का निर्णय दिनांक 28.10.2021 व तहसीलदार महवा का निर्णय दिनांक 22.02.2021 निरस्त फरमाते हुए दफा 91 की कार्यवाही ड्रोप फरमाने की कृपा करे।

6. रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा संवत 2077 में वाके ग्राम अंछापुरा के राजकीय आराजी खसरा नम्बर 1062 कुल रकबा 0.05 है0 किस्म चारागाह में से रकबा 0.01 है0 पर अनाधिकृत रूप से लेटबाथ बनाकर एवं खसरा नम्बर 1080 कुल रकबा 0.20 है0 किस्म चारागाह में से रकबा 0.14 है0 भूमि पर अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से गेहूँ की फसल काश्त कर व रकबा 0.06 है0 भूमि पर कब्जा कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महवा द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्व भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 22.02.2021 को 50 गुणा पैनल्टी कायमी एवं बेदखली की कार्यवाही किये जाने तथा अतिक्रमी को 03 माह (90 दिवस) के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिस पर अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा में अपील दायर करने पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा ने अपीलान्ट की अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.10.2021 द्वारा खारिज कर दी गई। जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार अतिक्रमी के पश्चातवर्तीय अतिक्रमण किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, वह विधिवत प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, वह पूर्णतया विधि अनुसार है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियों के अवलोकन से विदित है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महवा, जिला दौसा की पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का हडिया द्वारा तैयार मौका पर्चा रिपोर्ट दिनांक 29.01.2021 के अनुसार अपीलान्ट द्वारा संवत 2077 में वाके ग्राम अंछापुरा के राजकीय आराजी खसरा नम्बर 1062 कुल रकबा 0.05 है0 किस्म चारागाह में से रकबा 0.01 है0 पर अनाधिकृत रूप

से लेटबाथ बनाकर एवं खसरा नम्बर 1080 कुल रकबा 0.20 है0 किस्म चारागाह में से रकबा 0.14 है0 भूमि पर अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से गेहूँ की फसल काश्त कर व रकबा 0.06 है0 भूमि पर कब्जा कर पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महवा, जिला दौसा द्वारा अपीलांट को भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है तथा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 22.02.2021 को 50 गुणा पैनल्टी कायमी एवं बेदखली की कार्यवाही किये जाने तथा अतिक्रमी को 03 माह (90 दिवस) के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.10.2021 में यह माना है कि पटवारी हल्का की रिपोर्टानुसार अपीलान्ट द्वारा राजकीय चरागाह भूमि पर पश्चातवर्तीय अतिक्रमण किया है जिसे वैध नहीं ठहराया जा सकता है। चूंकि भूमि की किस्म राजकीय चरागाह है। अपीलान्ट पश्चातवर्तीय अतिक्रमी है, जबकि कानूनन राजकीय चरागाह भूमि पर अनाधिकृत रूप से लेटबाथ बनाकर व गेहूँ की फसल काश्त कर एवं भूमि पर कब्जा कर पश्चातवर्तीय अतिक्रमण करने का अधिकार किसी को भी प्रदत्त नहीं है और यह कृत्य दण्डनीय है। ऐसे में राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमण करने की प्रवृति को रोकने एवं अंकुश लगाने के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशों में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य सबूत, तथ्य या दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अपीलार्थी राजकीय चरागाह भूमि पर अतिक्रमी साबित नहीं होता है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.10.2021 एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महवा, जिला दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2021 को यथावत रखा जाना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 28.10.2021 एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महवा, जिला दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.02.2021 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 13.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर